

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1474/11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 10, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये लीज के नवीनीकरण के प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 1.10 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति रद्द करने की सूचना के संबंध में।

संदर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/५८/२०१९/एफ०सी०/१०९, दिनांक-19.07.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति/सूचना मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने पत्रांक-1912/मी०क्षे०/33, दिनांक 21.10.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित अद्यतन स्थिति/सूचना दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1474/11-सी- FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. अधिकृत प्रतिनिधि/हेड लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

